



आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 1.8222 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.778 है०) अर्थात कुल 3.600 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग सहिया को लखस्यार गुंहरा ब्यारी कबला मार्ग के विस्तार कि०मी० 15-18 तक मार्ग का नवनिर्माण हेतु कोई प्रदान किये जाने में कोई

काय नहीं किया जा रहा है।
 चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा क्याही द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्याही के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अखण्ड, जॉन निओविड, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में लखस्यार ग्रामीण कचरा मार्ग के विस्तार कि०मी० 15-18 तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8222 हे० वन भूमि ली०नि०वि० का हस्तांतरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.8222 हे० सिविल सायम भूमि, नाप भूमि 1.778 हे०) अर्थात् कुल 3.600 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

ጽሑፍ-ጠባቂ ልማት/ጥያቄ ለጥያቄ ሰነድ ለመስጠት

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार-बुधरा-क्यासी-कवला मोटर मार्ग का विस्तार किमी 15 से किमी 018 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.822 हे० वन भूमि ली० नि० वि० को हस्तांतरण।

कामायनी
गम पंचायत क्यारी
तहसील-कालसी, जिला-देहरादून